

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन उदयपुर/अध्ययन/26260/2024/53

दिनांक:-07-03-2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
उदयपुर/चित्तौडगढ़/डूंगरपुर/बांसवाड़ा।

**विषय:-**अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति प्रकरण में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार आक्षेप/कमियां पाई गई है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	सम्बन्धित प्राधिकारी का विवरण	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1.	तारा चौधरी,	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	पीएचसी, चिकारड़ा,	कार्मिका का अवकाश आवेदन पत्र में अर्द्धवैतनिक अवकाश उनके खाते में बकाया अवकाश के अनुसार नहीं है।
2.	सुरेश कुमारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	उपकेन्द्र देवली, खण्ड डूंगला	जीए-45 में दिनांक 128 दिवस उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश चाह गया है जबकि अध्ययन अवकाश के साथ 120 से ज्यादा का उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है अतः संशोधित जीए-45 प्राप्त किया जाना है।
3	कविता कुमारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	उपकेन्द्र फलोदड़ा, खण्ड डूंगला	जीए-45 में दिनांक 200 दिवस उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश चाह गया है जबकि अध्ययन अवकाश के साथ 120 से ज्यादा का उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है अतः संशोधित जीए-45 प्राप्त किया जाना है।
4.	दुर्गा मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र सालेड़ा खण्ड भीण्डर	अवकाश के संबंध में प्रस्तुत चैक लिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
5.	विष्णु कुमारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़	उप स्वास्थ्य केन्द्र चरलिया ब्राहमण खण्ड निम्बाहेड़ा	कार्मिका का अवकाश आवेदन पत्र (जीए-45) एवं जीएनएम प्रशिक्षण आवंटन पत्र संलग्न नहीं है।

Signature valid

RajKaj Ref  
5895116



Digitally signed by Ashutosh Garg  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.03.05 21:40:30 IST  
Reason: Approved

6.	रमीला कुमारी सरपोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र पारड़ा दरीयाटी खण्ड सीमलवाड़ा	कार्मिका का द्वारा अवकाश आवेदन पत्र में उपार्जित अवकाश का अंकन सही नहीं है।
7.	रेखा यादव	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोदाणा	1. कार्मिका के अध्ययन अवकाश की गणना सही कर संशोधित जीए-45 प्राप्त किया जाना है। 2. अवकाश के संबंध में प्रस्तुत चैक लिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। 3. शपथ पत्र में राशि का अंकन सही नहीं है।
8.	प्रेम मेघवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	उपकेन्द्र देवास	अवकाश के संबंध में प्रस्तुत चैक लिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
9.	श्रीमती रंजिता अहारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गड़ी,	जीए-45 में 125 दिवस उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश चाह गया है जबकि अध्ययन अवकाश के साथ 120 से ज्यादा का उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है अतः संशोधित जीए-45 प्राप्त किया जाना है।

अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रकरण निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें:-

(डॉ० आशुतोष गर्ग)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन उदयपुर/अध्ययन/26260/2024/53

दिनांक:-07-03-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।

RajKaj Ref  
5895116

Digitally signed by Ashutosh Garg  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.03.05 21:40:30 IST  
Reason: Approved